न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 41/2021 (जीसीएमएस नम्बर 2021/48)

1. श्रीराम पुत्र रामजीलाल जाति मीना निवासी ग्राम कालवान तहसील सिकराय जिला दौसा। — अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सिकराय जिला दौसा। — रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध अन्तर्गत धारा 76 एल.आर.एक्ट अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा निर्णय दिनांक 16.09.2020 उनवानी अपील श्रीराम बनाम राजस्थान सरकार अपील संख्या 3/2020 व निर्णय तहसीलदार सिकराय दिनांक 06.01.2020 प्रकरण संख्या 220/2019 सरकार बनाम श्रीराम अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट

उपस्थित–

1. श्री सी.एल. मीना, वकील अपीलान्ट
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. नं. 1

निर्णय

दिनांक –26.07.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा के निर्णय दिनांक 16.09.2020 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद के साथ दिनांक 20.07.2021 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार सिकराय जिला दौसा ने निर्णय दिनांक 06.01.2020 को आराजी खसरा नम्बर 1126/972 रकबा 12.96 है0 में से 0.40 है0 किस्म चरागाह भूमि पर सम्वत 2076 में काश्त कर अतिक्रमण करने पर अपीलान्ट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुये 90 दिवस के सिविल कारावास व पेनल्टी की सजा से दण्डित करने के आदेश पारित कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा के पेश की गई, जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.09.2020 द्वारा खारिज कर दी गयी।

3. तहसीलदार सिकराय जिला दौसा दिनांक 06.01.2020 तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा दिनांक 16.09.2020 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय तहसीलदार सिकराय जिला दौसा दिनांक 06.01.2020 तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा दिनांक 16.09.2020 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में यह तर्क दिया कि अपीलांट ने किसी भी चरागाह भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है ना ही काश्त की है इस संबंध में अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को कोई सुनवाई व सबूत का मौका नहीं दिया ना ही पटवारी हल्का ने अपीलांट के समक्ष भूमि का मौका देखा ना मौका रिपोर्ट बनाई। अधिनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर ही निर्णय जेर अपील पारित कर दिया। अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में यह तर्क भी दिया कि अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी भी साबित नहीं है ना ही इसका कोई हवाला ही अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में दिया है इसलिए भी बिना पश्चातवर्ती अतिक्रमी साबित किये बिना अपीलांट को अतिक्रमी नहीं माना जा सकता।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

प्रार्थी का पूर्व में भी कोई अतिक्रमण साबित नहीं है किन्तु योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने इन सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है। कानूनन सजा जैसे प्रकरण में पीडित पक्ष को पूर्ण सुनवाई का मौका देना आवश्यक था, परन्तु अधिनस्थ हर दो न्यायालय ने इस पर कोई गौर नहीं फरमाया तथा निर्णय पारित कर सजा देने में गलती की है। अतः निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट भी प्रदर्शित नहीं हुई पटवारी हल्का से अपीलांट को जिरह का मौका भी नहीं दिया बिना रिपोर्ट प्रदर्श हुए ही रिपोर्ट को साक्ष्य में ग्रहण ही नहीं किया जा सकता। इससे स्पष्ट है कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने तहसीलदार सिकराय के निर्णय को देखा ही नहीं व पत्रावली का अवलोकन ही नहीं किया। दोनों न्यायालय का निर्णय अवैधानिक होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट की ओर से अपीलांट के वकील ही उपस्थित होकर पैरवी करते थे व उनको ही हिदायत पैरवी कर रखी थी । अपीलांट के वकील ने अपील का निर्णय हो जाने की कोई सूचना या जानकारी अपीलांट को नहीं दी व कोविड–19 महामारी के कारण भी अपीलांट घर पर ही रहा व कहीं आ जा नहीं सका इसलिए अपीलांट समय सीमा में अपील पेश नहीं कर सके अब अपीलांट ने अपने वकील से सम्पर्क कर उनसे अपील के बारे पूछा तो उन्होने बताया कि अपील 16.09.2020 को खारिज कर दी गई इस जानकारी पर अपीलांट ने दिनांक 15.07.2021 को नकल का प्रार्थना पत्र दिया जिसकी नकल तारीख 16.07.2021 को प्राप्त हुई। अतः जानकारी व नकल मिलने से यह अपील आज पेश की जा रही है जो जानकारी से अंदर मियाद है व देरी क्षमा हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश है। तथा न्यायहित में अपील पेश करने में हुई देरी क्षमा की जाने योग्य है। इसलिए दफा 5 कानून मियाद का प्रार्थना पत्र कर अपील पेश करने में हुई देरी माफ किये जाने व कण्डोन किया जाना आवश्यक है तथा देरी माफ फरमाते हुये अपील को अन्दर मियाद शुमार फरमाया जाना न्यायसंगत है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है अपील स्वीकार फरमाई जाकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा का निर्णय दिनांक 16.09.2020 व तहसीलदार सिकराय का निर्णय दिनांक 06.01.2020 निरस्त किया जावे।

6. रेस्पोडेन्ट नं. 1 राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट ने संवत 2076 में ग्राम कालवान तहसील सिकराय में स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 1126/972 रकबा 0.40 है0 पर गेहूं की काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट को 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट पूर्ववती अतिक्रमी भी है। अपीलांट नियत तारीख पेशी पर अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित आया है। अतः अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि साक्ष्य/सुनवाई/जिरह का समुचित अवसर नहीं दिया जाकर एकतरफा निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। अपीलान्ट को निर्णय की जानकारी उसे नकल दिनांक 16.07.2021 से प्राप्त होने पर बताया गया है। अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा पेश किए गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किए जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत की गई। अपीलांट को पटवारी हल्का द्वारा की गई रिपोर्ट में राजकीय चारागाह भूमि पर अतिक्रमण करना व पूर्व अतिक्रमी अंकित किया है। जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक के हस्ताक्षर भी अंकित है। अपीलांट को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। अपीलांट दिनांक 06.01.2020 को अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय में उपस्थित हुआ है। ऐसी

स्थिति में अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि उनको सुनवाई व साक्ष्य एवं जिरह का अवसर नहीं दिया गया। साथ ही रिपोर्ट की कैफियत में पूर्व अतिक्रमी होना बताया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट ने संवत 2076 में ग्राम कालवान तहसील सिकराय में स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 1126/972 रकबा 0.40 है0 पर गेहूं की काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। अपीलान्ट पूर्व अतिक्रमी है, जबकि कानूनं राजकीय चारागाह भूमि पर अतिक्रमण का अधिकार किसी को भी प्रदत्त नहीं है और यह कृत्य दण्डनीय है। अपीलान्ट द्वारा उक्त राजकीय चारागाह भूमि पर सम्वत 2076 में फसल खरीफ में भी अतिक्रमण किया जाना तहसीलदार के निर्णय में अंकित है। जिसे बेदखल करने के पश्चात् पुनः चारागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, जिससे वह पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। ऐसे में राजकीय चारागाह भूमि पर अतिक्रमण करने की प्रवृति को रोकने एवं अकुशं लगाने के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेशों में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य सबूत, तथ्य या दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे अपीलार्थी राजकीय चारागाह भूमि पर अतिक्रमी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.09.2020 को यथावत रखा जाता है।

(डॉ. प्रवीण कुमार)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय दिनांक 26.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर